मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/समयबद्ध

सं0-17/2018/396/55-पर्या-2-2017-44(रिट)/16 टी0सी0-3

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पर्यावरण, उ0प्र0,

लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2018**

विषय-मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विभिन्न वादों में गठित अनुश्रवण कमेटियों के सहायतार्थ कार्मिकों हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-656/पर्या/एन0जी0टी0 मॉनिटरिंग कमेटी/2018, दिनांक 26-09-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-200/2014, ओ0ए0 संख्या-231/2014, ओ0ए0 संख्या-116/2014 एवं ओ0ए0 संख्या-264/2018 में पारित आदेशों द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटियों के कार्यालय व्यवस्था हेतु निम्नलिखित अस्थाई पदों को दिनांक 28-02-2019 तक इस शर्त के अधीन कि इन पदों को भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	पद का नाम	प्रस्तावित पदों की संख्या	प्रस्तावित पारिश्रमिक	अभ्युक्ति
1	निजी सचिव/सचिव	04	75,000	पारिश्रमिक अन्तिम आहरित वेतन से पेंशन की धनराशि घटाते हुए जो धनराशि आये उसे अथवा प्रस्तावित पारिश्रमिक में जो भी कम हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	डेटा इन्ट्री आपरेटर	04	उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उघोग की दरों के अनुरूप	आउटसोर्सिंग के माध्यम से
3	अर्दली/चपरासी	04	उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उघोग की दरों के अनुरूप	आउटसोर्सिंग के माध्यम से

2- उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-45 के सुसंगत लेखाशीर्षक से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7/997/दस-2018, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

4- उपरोक्त अस्थाई पदों पर तैनाती मा0 अध्यक्षों के मांग के आधार पर ही किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रचलित समस्त शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

सं0- /55-पर्या-2-2017-44(रिट)/16 टी0सी0-3 दिनांक 06 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर लखनऊ। (03 प्रतियों में)
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।